न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—151/2020/223 आर.टी.एक्ट (2020/00151)

1. रामपाली पत्नि नरसी आयु 65 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम राताखेडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गोरधन पुत्र स्व0 बंशी जाति माली
2. छोटू पुत्र स्व0 बंशी जाति माली
3. रामचरण पुत्र स्व0 बंशी जाति माली
4. लीलादेवी पत्नि स्व0 सुरजमल आयु 80 वर्ष **(फौत)**
5. कपिल उर्फ लक्ष्मीकांत पुत्र स्व0 सूरजमल जाति माली, निवासी एस0पी0 बनासी 103 मंगल विहार गोपालपुरा, जयपुर।
6. इन्दुबाला पुत्री सूरजमल पत्नी अर्जुनसिंह जाति माली निवासी अशोक मार्ग, पुनि चुंगी के पास नीमच।
7. कमला पत्नि स्व0 विश्म्भर जाति माली
8. शीला पुत्री स्व0 विश्म्भर जाति माली
9. मीरा पुत्री स्व0 विश्म्भर जाति माली
10. प्यारेलाल पुत्र स्व0 बंशी जाति माली
11. मनोहरलाल पत्नि स्व0 सत्यनारायण
12. मादू पुत्र स्व0 सत्यनारायण **(फौत)**
    12/1 प्रिया पत्नी माधू
    12/2 लक्ष्य पुत्र माधू) नाबालिग जरिए प्राकृतिक संरक्षिका
    12/3 श्लोक पुत्र माधू) माता प्रिया पत्नी माधू
    सभी जाति माली, निवासी ग्राम राताखेडा तहसील नसीराबाद जिला अजमर।
13. अनिल पुत्र स्व0 सत्यनारायण **(फौत)**
    13/1 रिंकू पत्नी अनिल
    13/2 लक्षिता पुत्री अनिल (नाबालिग)
    13/3 कुशाल पुत्री अनिल (नाबालिग)
14. सुनिल पुत्र स्व0 सत्यनारायण
15. सांवरलाल पुत्र स्व0 सत्यनारायण
16. लाली पुत्री स्व0 सत्यनारायण समस्त जातिगण माली निवासी ग्राम राताखेडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
17. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 65/2013 (149/2016)

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शशिकांतजोशी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2, 7 से 11, 14 व 15
3. श्री नवीन गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2, 12/1 व 13/1

4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 17
5. रेस्पोडेंट संख्या 3, 5, 6 व 16 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—26.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 (149/2016) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निर्णय 16.5. 2016 को न्याय आपके द्वारा अभियान 2016 में प्रकरण का निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक डिक्री पारित की गई कि वादीगण व समस्त सहखातेदारों के मध्य विधिक विभाजन प्रस्ताव उभयपक्ष की उपस्थिति में तैयार कर न्यायालय में पेश करे तथा प्रकरण का दिनांक 29.5.2017 को निर्णित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर अंतिम डिक्री पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 3, 5, 6 व 16 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा बंटवारे व खातेदारी व निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2016 को स्वीकार कर निर्णय पारित किया तथा अंतिम डिग्री दिनांक 29.05.2017 को पारित किया गया। जिसमें विभाजन प्रस्ताव जो अधीनस्थ न्यायालय में जो प्रस्तुत किया गया में अपीलार्थी के खेत हाल खसरा नम्बर 351, 346, 167, 185, 349 को रेस्पोडेंटगण/वादीगण एंव अन्य परफोर्मा प्रतिवादीगण के नाम गलत दर्शाने से गलत अंकन हो गये तथा उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एंव डिग्री पारित कर दी गयी जो बंटवारा मौका अनुसार नहीं किया गया तथा ना ही किस्म एंव मूल्य के अनुसार किया गया और ना ही दस्तावेजों के अनुसार किया गया के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/अंतिम डिग्री दिनांक 29.05.2017 की जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 14.08.2020 को अपीलार्थी ने अपने खेतों की नकल मांगने एवं संपर्क करने पर हुई की उक्त भूमि का न्यायालय की डिक्री से बंटवारे में अंकित की गयी है के पश्चात दिनांक 18.08.2020 को राजस्व न्यायलय से वाद पत्र की पत्रावली की नकल प्राप्त कर तहसील कार्यालय से दिनांक 20.08.2020 को नकल प्राप्त की गयी तथा अविलम्ब अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपील प्रस्तुत की गयी जिससे अपील पेश करने में देरी हुई है। वह विलम्ब

उपरोक्तानुसार क्षमा किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कथन अधीनस्थ न्यायालय के अंतिम डिक्री दिनांक 29.5.2017 पारित किए जाने तक स्वीकृत हैं शेष कथन इस आधार पर अस्वीकृत हैं कि विभाजन प्रस्ताव जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था उस पर अपीलार्थीया द्वारा सहमति प्रकट की गयी थी। जिसकी ताईद अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 29.5.2017 में अपीलार्थीया के अंगूठा निशानी से स्पष्ट है। उक्त विभाजन प्रस्ताव व अपीलार्थीया की सहमति के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री पारित की गयी है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णित निर्णय व डिक्री की जानकारी से सम्बंधित कथन इस आधार पर अस्वीकृत हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 29. 5.2017 को पारित की गयी के विरूद्ध अपीलार्थीया द्वारा दिनांक 14.8.2020 को लगभग 3 वर्ष 3 माह पश्चात अपील प्रस्तुत की गई व जानकारी खेतों की नकल एवं सम्पर्क करने पर अंकित की गई जबकि अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.2017 को अपीलार्थीया स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित थी जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 29.5.2017 से स्पष्ट है जिस पर अपीलार्थीया की अंगूठा निशानी है। अपीलार्थीया ने खेतों की नकल मांगने व सम्पर्क करने पर आक्षेपित निर्णय व डिक्री की जानकारी होना बताया है जबकि उसके समर्थन में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किये बिना इतनी लम्बी अवधि का स्पष्ट कारण दर्शित नहीं किया है। प्रार्थीया केवल मयाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर नरम रूख केवल विशिष्ट कारण, संतोषप्रद कारण एवं सम्यक कारण व स्वच्छ हाथों से प्रस्तुती मात्र के आधार पर ही डिले कन्डोन किया जा सकता है, जबकि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 में प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई न्यायिक, विशिष्ठ व संतोषप्रद व सम्यक कारण दर्ज नहीं किए जाने के कारण प्रार्थना पत्र काबिल खारिज योग्य है। मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र में प्रत्येक दिन की डिले अवधि को संतोषप्रद कारण से एवं युक्तियुक्त समय को पूर्णतः देरी का स्पष्ट दर्शित करने का कानूनी प्रावधान है। Law of Limitation is not a formalities procedure शेष अतिरिक्त आपत्ति में दर्ज है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत

प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि दावाकृत भूमि का मौके पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजो के समय से ही लिखित में जरिये इकरानामा दिनाक 09.06.2001 को बंटवारा हो चुका था तथा दावाकृत भूमि में से पूराने वर्किंग खसरा नम्बर 250 रकबा 0–5–10, 230 रकबा 0–15–0, 225 रकबा 0–16710, 248 रकबा 0–15–10 की भूमि के खातेदार सूजरमल पुत्र काना द्वारा रूपये 15 हजार में रामप्यारी उर्फ रामपाली पत्नि नरसीलाल जाति माली आपीलार्थी को कतई बेचान कर दिया गया था तथा दिनांक 03.12 1988 को बंशी व सूरजमल पुत्रगण काना द्वारा पुराने खसरा नम्बर 221 रकबा 1–12–10 का आधा हिस्सा भूमि का बेचान कर दिया गया है तथा पुराने खसरा नम्बर 236 व 253 का भी बेचान सुरजमल पुत्र काना द्वारा बेचान कर दिया गया था तथा उपरोक्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 360 रजिस्ट्री से अपीलार्थीया के नाम अकन हो गा तथा हाल खसरा नम्बर 349 का आधा हिस्सा अपीलार्थी के नाम अंकन हो गया किन्तु पुराने खसरा नम्बर 225 के हाल खसरा नम्बर 185 रजिस्ट्री अनुसार अपीलार्थीया के नाम खातेदारी अंकन करने के बजाय रेस्पोडेन्ट के नाम गलत अंकन हो गया के नाम कुऐ का पुराना खसरा नम्बर 250 के हाल खसरा नम्बर 351 को रजिस्ट्री अनुसार अंकन नहीं किया गया तथा पुराने खसरा नम्बर 221 के हाल खसरा नम्बर 334 का आधा हिस्सा एवं हाल खसरा नम्बर 167 खातेदारी दर्ज किया जो पूरा दर्ज किया जाना था तथा पुराने खसरा नम्बर 230 के हाल खसरा नम्बर 349 का आधा हिस्सा दर्ज किया गया था तथा पुरा हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिये था। जिस बाबत अलग अलग हक व हिस्सो की भूमि का बंटवारा बाबत लिखापढी गयी थी के बावजूद विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी के हक व हिस्से को रेस्पोडेन्ट वादीगण के नाम गलत एव त्रुटिपूर्ण तरीके से दर्शाते हुऐ विभाजन प्रस्ताव बनाते समय प्रतिवादी/अपीलार्थी को किसी तरह का कोई सूनवाई का मौका नहीं दिया गया था तथा एक दूसरे के खेतों को गलत दर्शित करते हुऐ गलत एंव विधिक विरूद्ध तरीके से बिना तहसीलदार की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव व मौका रिपोर्ट तैयार कर विवादित निर्णय डिकी पारित की गयी जो अपास्थ किये जाने योग्य है। दावाकृत भूमि में अपीलार्थी की भूमि हाल खसरा नम्बर 349 का पूर्ण हिस्सा एव 185 का पूर्ण हिस्सा एवं हाल खसरा 351 का रजिस्ट्री अनुसार हिस्सा एंव हाल खसरा नम्बर 334 का पूर्ण हिस्सा का विभाजन प्रस्ताव में अपीलार्थी के नाम अंकन नहीं कर अन्य सहखातेदारो के हिस्से में विभाजन में अंकित कर दिये गये जबकि उपरोक्त भूमि पर मौके पर आज भी अपीलार्थी का कब्जा व आधिपत्य चला आ रहा है जो अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हिस्से की भूमि है जिसकी जानकारी दिनांक 14.08.2020 को पटवार हल्के से संपर्क कर जानकारी प्राप्त होने पर न्यायालय के आदेश से भूमि एक दूसरे के नाम विभाजन प्रस्ताव से अंकित की गयी है की जानकारी होने पर राजस्व न्यायालय से दिनाक 18.08.2020 एंव तहसील कार्यालय से दिनाक 20.08.20 को नकले प्राप्त की तो अपीलाधीन निर्णय डिक्री की जानकारी होने पर उपरोक्त प्रकरण में समस्त वादग्रस्त भूमि का किस्म मूल्य लगान के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा त्रुटिपूर्ण एवं गलत रूप से एक दूसरे की भूमि का उल्टा अंकन करते हुऐ विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया जो पूर्णतयाः गलत एवं विधि विरूद्ध होने

पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्य एवं मौके की अनदेखी करते हुऐ मनमाने तरीके से विधी विपरित तरीके से निरस्त कर दिया गया जो अपीलाधीन आदेश निरस्त होने योग्ये है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण एवं प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की सह खातेदारी/सह काश्तकारी भूमि वाकै मौजा ग्राम राताखेडा पटवार क्षेत्र बारापत्थर भूअभिलेख निरीक्षक बारापत्थर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर में आस्थित है। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण व प्रर्फोर्मा प्रतिवादीगण की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी भूमि है। जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण व प्रर्फोर्मा प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्सेनुसार पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है किन्तु बिना किसी कारण प्रतिवादीगण फसल काश्त के समय वादीगण से लडाई झगडा करने पर आमादा रहते है जबकि वादीगण पुश्तैनी बंटवारे में आई अपनी भूमि पर ही काबिज काश्त चले आ रहे है प्रतिवादीगण अपने हिस्से में कम भूमि आने का कथन करते है जिसका की कानूनन उन्हे कोई अधिकार नहीं है जिसकी रोक हेतु उक्त वाद न्यायालय श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है। वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि आज दिनांक तक बाई मीटस एण्ड बाउण्डस न्यायिक बटवारा नहीं हुआ है एवं शामिल में फसल काश्त करना असंभव हो गया है एवं वादीगण एवं प्रतिवादीगण को ऊपर वर्णित आराजीयात का हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार उदघोषित फरमाया जावे एंव उपरोक्त आराजीयात का इसी अनुसार बंटवारे की आज्ञप्ति जारी फरमाई जावे एवं आये दिन लडाई झगडे की आशंका रहती है अतः उक्त वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी एवं बटवारा श्रीगान की सेवा में प्रस्तुत हैं। वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पुश्तैनी भूमि है। जिससे प्रतिवादीगण महरूम/बेदखल करने पर आमदा है जिसके लिए उक्त कृत्य कारित कर गैर कानूनी रूप से बैचान कर दिया है तथा वादीगण को उनकी खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगण बेदखल कर देते है तो उसकी पूर्ति दव्य में आकलन करना संभव नहीं है तथा वादीगण वादगस्त भूमि के खातेदार/काश्तकार होने से मजबूत प्रथम दृष्टया प्रकरण भी वादी के पक्ष में तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञप्ति प्रसारित की जाकर यदि पाबन्द नहीं किया जाता है उन परिस्थितियो में वादीगण के विधिक अधिकारों की रक्षा किया जाना संभव नहीं होगा एवं वादीगण के उपयोग तथा उपभोग में दखल किए जाने पर एवं अन्य को पुनः रहन/बैचान आदि की जाती है उस स्थिति में नाना किस्म के विवाद उत्पन्न होने की संभावना है कि जिससे वादीगण को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है, जिसकी क्षतिपूर्ति का किया जाना संभव नहीं होगा। जिसकी रोक हेतु प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा आज्ञप्ति प्रसारित की जाकर पाबन्द किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है कि जिस हेतु भी यह वाद पत्र प्रस्तुत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 व 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षों की सहमति प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उक्त वाद को दिनांक 29.5.2017 को स्वीकार कर प्रकरण में अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 149/2015 व 65/2013 में एक साथ विभाजन प्रस्ताव दिनांक 26.4.2017 को तैयार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दोनों प्रकरण को समाहित करते हुए एक साथ निर्णय किया गया उक्त दोनों प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तैयार बंटवारा प्रस्ताव मात्र पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की उपस्थिति में दिनांक 26.04.2017 को तैयार किया गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 के प्रावधान के तहत् विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा बनाया जाना आदेशात्मक है। उक्त प्रकरण में जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह केवल पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार, नसीराबाद को प्रेषित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा उक्त बंटवारे प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण में निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 से 21 की पालना किए बगैर उक्त प्रकरण में निर्णय व डिक्री जारी किया गया है, जो कि विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधि संगत आदेश पारित नहीं किया जाकर सरसरी तौर पर बिना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विश्लेषण किए ही निर्णय व डिक्री पारित किया गया है।

2021 आर0बी0जे पेज 76

राजस्थान टीनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 – नियम 18 से 21 – *यह बाध्यकारी (Mandatory) है कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विभाजन के प्रस्ताव तैयार करे।*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 29.05.2017 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प देराठू में नियत कर प्रकरण का निस्तारण किया गया परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक बिंदु को ध्यान में नहीं रखा गया कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण होता है जिन प्रकरणों में पक्षकारों के बीच में आपसी समझौता या राजीनामा होता है परंतु उक्त प्रकरण में ऐसा नहीं हुआ है चूंकि लोक अदालत कैम्प कोर्ट में उपस्थिति बाबत आदेशिका पर समस्त पक्षकारान के हस्ताक्षर भी नहीं है। केवल छोटू, गोरधन, कमला व रामपाली ही उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 07.06.2013 का राजीनामा प्रार्थना पत्र भी उपलब्ध है, परंतु उक्त राजीनामे को विधिक राजीनामे के अनुसार मान्यता नहीं दी जा सकती है, क्यों कि उक्त राजीनामे में समस्त पक्षकारों के हस्ताक्षर नहीं है। एक आदर्श राजीनामे में प्रकरण से संबंधित समस्त पक्षकारान की लिखित सहमति होती है जिसे वह जरिए हस्ताक्षर मान्यता देते है, परंतु उक्त राजीनामे में समस्त पक्षकारों की सहमति नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपूर्ण राजीनामे को आधार मानकर प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत कैम्प कोर्ट देराठू में किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 में विधिक त्रुटि कारित हुई है इसलिए उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 65/2013 (149/2016) में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.05.2017 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह उभयपक्षकारान को जवाब, सुनवाई का अवसर देते हुए उभयपक्षों की उपस्थिति में तहसीलदार द्वारा बंटवारा प्रस्ताव तैयार करते हुए व उक्त रिपोर्ट पर उनकी आपत्ति व जवाब लेकर उनका निस्तारण करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय एवं डिक्री जारी करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर